



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1941 (श०)

(सं० पटना 51) पटना, सोमवार, 20 जनवरी 2020

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 जनवरी 2020

एस०ओ० 80 दिनांक 20 जनवरी 2020—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा—22(1)(b) के संदर्भ में धारा—22(1) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियम) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम—284 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके पति/पत्नी के हितार्थ नयी योजना“ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान—धन योजना“ प्रारंभ करने का निम्नरूपेण प्रावधान करती है :—

1. इस योजना के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित 18—40 वर्ष की आयु के अहर्ता प्राप्त निर्माण श्रमिकों (सदस्यों) के लिए तत्काल अधिकतम पाँच वर्षों तक निर्धारित अंशादान की राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
2. इस योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले निबंधित निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित “पेंशन योजना“ के लाभ के हकदार नहीं होंगे।
3. किसी कारणवश श्रमिक इस योजना से बाहर होते हैं तो निर्धारित देय राशि उनके बैंक खाते में नियमानुसार अन्तरित कर दी जाएगी।
4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय—समय पर दिये गये निदेश के अनुसार इस योजना का संचालन किया जाएगा।

यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(बी०सी०डब्ल०सी०—१८/२०१६ श०सं०—३९)
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सूर्यकान्त मणि,
सरकार के उप—सचिव।

17 जनवरी 2020

एस०ओ० 80 दिनांक 17 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(बी०सी०डब्लू०सी०-१८/२०१६ श्र०सं-३९)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप-सचिव।

The 17th January 2020

S.O. 80 dated 17th January 2020--Inexercise of the power, conferred by Section 22(h) in context of 22(1)(b) of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996) and the rule 284 (A) of Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment)Rule-2016, the Government of Bihar makes following provision to initiate new scheme – “Pradhan Mantri Shram Yogi Man-Dhan Scheme” for the welfare of registered construction workers and their spouse :-

1. The payment of prescribed contribution amount for eligible registered construction workers (Subscribers) of 18-40 years of age will be made by the Board for maximum upto five years instantly.
2. The Pensioners of this scheme will not be entitled to benefit of “Pension Scheme” running under the Board.
3. In case of exit of workers from this scheme due to any reason, the defined payable amount will be transferred in their Bank Accounts as per rule.
4. This scheme will be operated as per the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India from time to time.

This will be effective from the date of its publication in Bihar Gazette.

(No. BCWC-18/2016 LR-39)

By order of the Government of Bihar,

Suryakant Mani,

Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 51-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>